


27.12.24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 'अदम पेस्वी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर रवारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारिखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDQ), बाड़मेर